न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2017 G.C.M.S. No. 2017/00327 दर्ज दिनांक : 15.12.2017

अपीलार्थिगण:

1. दुर्गाराम पुत्र किसनाराम जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर हाल पता जनता टैक्सटाईल्स, पुराना बस स्टैण्ड, गुण्डलूपेट, चामराजनगर, जिला कर्नाटक 571111, कर्नाटक।
2. भंवरी पत्नि स्व. लक्ष्मणराम, जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
3. राकेश पुत्र स्व. लक्ष्मणराम, जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर हाल निवासी सूरत, गुजरात।
4. मनोहर पुत्र स्व. लक्ष्मणराम, जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर। हाल पता.....
5. पाबूराम पुत्र किसनाराम, जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर हाल निवासी दिलीप पवन ब्रोकर्स, ग्राम बोम्मलपुरा, गुण्डलूपेट (ताल्लुक) सी.एच. नगर, जिला कर्नाटक 571111, कर्नाटक।
6. भीयाराम पुत्र गुमनाराम, जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर। हाल पता माताजी ज्वैल्स 21/6 दुकान नंबर 7, बसंतपुर मैन रोड़, कोननकुण्टे क्रॉस, बैंगलुरू, कर्नाटक।
7. बाबुलाल पुत्र गुमनाराम, जाति सिरवी, निवासी देवरिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर। हाल पता गणेश जवैल्स, एमबीटी रोड़, पुंगनूर, चित्तूर, जिला आंध्रप्रदेश, आंध्रप्रदेश।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सुरजमल पुत्र कालूराम
2. नारायणलाल पुत्र धन्नालाल, जातिगण देवासी, निवासीगण देवरिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
3. भूमिधारी तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2017 बअनवान सुरजमल वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री श्याम पंचारिया, श्री राधाकिशन चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2017 बअनवान सुरजमल वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा देवरिया, पटवार हल्का–देवरिया, तहसील जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 750/849 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा व खसरा न. 750/862 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की अलग–अलग रूप से खातेदारी एवं कब्जा काश्त की हैं। जिस पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त है व उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित है, में जाने का एक भाग रास्ता खसरा नम्बर 745/1 रकबा 5 बीघा एवं खसरा नम्बर 745, रकबा 26 बीघा माठ के सहारे होकर के निकलता है। नकल जमाबंदी अप्रार्थीगण की व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जायें। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि जो वादपत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित है, उसमें जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की भूमि के उत्तर दिशा व अप्रार्थी संख्या 7–8 की भूमि के पूर्वी दिशा में रास्ता स्थित है। जिस रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेतों में आते–जाते हैं व अपनी आराजी का उपयोग–उपभोग खड़ाई बुवाई व कटाई करते हैं एवं काश्त हेतु अपने वाहन ट्रैक्टर ट्रोली छकडे हल व बैल लेकर के जाते एवं मौके पर रास्ता भी कायम था, जो रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा तारबंदी कर रोक दिया। जिससे नजरी नक्शे मे लाल स्याही से मार्क ए से बी एवं सी से डी दर्शाया हुआ है। उक्त रास्ता वर्षों से चल रहा था परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से रोक दिया। इसलिए वह इस रास्ते को बंद कर रहे हैं एवं प्रार्थीगण को इधर से जाने नहीं देंगे। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं एवं जो वर्षों से अप्रार्थीगण की आराजी की माठ से रास्ता चल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया है। इसलिए रास्ता कायम कराने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की विधि अनुसार तामिल कराये बिना अप्रार्थीगण के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 02.05.2017 को कर दिया। तत्पश्चात उक्त पत्रावली पेशी दिनांक 24.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प देवरिया में निहित की गई तथा तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अर्थात वैकल्पिक रास्ता आदि के संबंध में रिपोर्ट ली जाने बाबत् आदेशिका दर्ज की गई। दिनांक 24.05.2017 को अप्रार्थीगण की ओर से उनके विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को सेटअसाईड कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने शामिल पत्रावली का आदेश प्रदान किया। उक्त आवेदन मय वकालतनामा अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त अप्रार्थीगण के आवेदन पर दिनांक 24.05.2017 को ही एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.05.2017 को सेटअसाईड किये जाने का आदेश पारित किया। जो आदेशिका देवरिया कैम्प में लिखी जाना दर्ज की गई। तत्पश्चात उक्त प्रकरण संख्या 28/17 की पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प आसरलाई में दिनांक 07.06.2017 तत्पश्चात 20.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प चावन्डिया कलां में रखने की आदेशीका दर्ज करते हुए एवं अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए उक्त भूमि के संबंध में कोई विधि अनुसार अप्रार्थीगण को जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना एवं अप्रार्थीगण को प्रत्यक्ष रूप से न्याय से वांछित करते हुए तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता की हाजरी दर्ज करते हुए दिनांक 20.06.2017 को अप्रार्थीगण की भूमि पर रास्ता 488-04 X 13 फीट लम्बाई का रास्ता दर्ज किये जाने का निर्णय विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किया एवं उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता कायम करने की भी आदेश पारित किये। उक्त आदेश से अप्रार्थीगण पूर्णतया पीडित एवं प्रभावित है। अप्रार्थीगण को व उसके अधिवक्ता को दिनांक 24.05.2017 को कोर्ट परिसर उपखण्ड अधिकारी जैतारण के न्यायालय परिसर में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जिसकी नकल कोर्ट परिसर में प्राथीगण के अधिवक्ता को दी गई जो पत्रावली जवाब हेतु निहित रखी गई तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण राजस्थान राज्य के बाहर निवास करते हैं। जिन्हें उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थीं। अप्रार्थीगण न्यायालय में समुचित जवाब पेश करेंगे तथा अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। उक्त पत्रावली संख्या 28/17 जवाब में नियत रखने हेतु एवं उक्त पत्रावली राजस्व कैम्प देवरिया में अप्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थीगण वहां उपस्थित नहीं होते हुए एवं उक्त प्रकरण जवाब हेतु नियत होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2017 की गलत आदेशिका राजस्व कैम्प देवरिया की दर्ज की। तत्पश्चात दिनांक 07.06.2017 राजस्व कैम्प आसरलाई व राजस्व कैम्प चावंडिया कलां की कोई सूचना नोटिस के जरिये दिये बिना एवं अप्रार्थीगण को सूचित किये बिना सभी आदेशिका 24.05.2017, 07.06.2017 व 20.06.2017 एक ही दिन में तैयार कर विधिविरूद्ध तरीके से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण को बिना कैम्प की कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु सूचित किये बिना अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनके जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को कैम्प देवरिया व कैम्प आसरलाई, चावंडिया कलां की बिना सूचना दिये अपीलान्ट को बिना सुनवाई व जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिससे अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट पूर्णतया व्यथित है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अभाव में एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट की भूमि पर **488-04 X 13** फिट चौडाई जिसकी लम्बाई का कोई इन्द्राज नहीं कर बनावटी तरीके से 8 बिस्वा भूमि पर रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया। रेस्पोंडेन्ट की कृषि भूमि पर जाने का रास्ता अपीलान्ट की भूमि पर पूर्व से कतई नहीं था। जबकि ग्राम देवरिया से कुशालपुरा जाने वाली कच्ची मुडिया रास्ते की भूमि पर अपीलांट की भूमि स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि से रेस्पोंडेंट का आने–जाने का कोई रास्ता पूर्व से नहीं था। रेस्पोंडेंट अपने खेतों में पश्चिम व दक्षिण दिशा में स्थित खेतों की माठों से होकर अपनी भूमि में आवागमन का रास्ता वैकल्पिक रूप से था। उक्त वैकल्पिक रास्ते को रेस्पोंडेन्ट ने जानबूझकर छुपाया तथा हल्का पटवारी ने मौका रिपोर्ट में गलत कथन किये जबकि अपीलांट को मौके पर तलब किये जाते तो मौके पर वैकल्पिक रास्ते के बारे में हल्का पटवारी व न्यायालय को बताया जाता। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ते की भूमि पर रेस्पोंडेन्ट अपनी कृषि भूमि पर वर्षो से आ जा रहे हैं। इस प्रकार जहां रास्ता खातेदारों की भूमि पर आने–जाने हेतु पूर्व से विद्यमान है तो ऐसे खातेदारों को उनकी सुविधा अनुसार अन्य भूमि से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को कैम्प देवरिया, आसरलाई व चावंडिया कलां में उन्हें उपस्थित होने हेतु विधि अनुसार बिना नोटिस दिये एवं बिना सूचना दिये उन्हें न्याय से वंचित करते हुए उनके विरूद्ध उक्त सभी तथ्यों की जानकारी किये बिना एवं अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा उक्त अप्रार्थीगण को कैम्प में उपस्थित होने की सूचना के अभाव में ऐसे कथन पत्रावली पर होते हुए पीठासीन अधिकारी ने आंखे मूंदकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भयंकर भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत कैम्प आसरलाई व चावंडिया कलां में उपस्थित होने का कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई तथा आगामी पेशी दिनांक 07.06.2017 व 20.06.2017 की कोई जानकारी प्रार्थीगण व अधिवक्ता को नहीं दी गई न ही कैम्प आसरलाई व चावंडिया कलां का नोटिस नहीं दिया गया। उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण संख्या 28/2017 की पत्रावली प्रार्थीगण को बिना सूचित किये कैम्प आसरलाई व चावंडिया कलां में रखी गयी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथा जबकि अप्रार्थी अपीलान्ट को कैम्प आसरलाई व चावंडिया कलां की बिना सूचना दिये पत्रावली कैम्प आसरलाई व चावंडिया कलां में रखी गई जबकि अप्रार्थी पक्षकार जैतारण उपस्थित हुए उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी उपस्थित थें एवं कैम्प देवरिया, आसरलाई व चावंडिया कलां मे पत्रावली दिनांक 24.05.2017 से आगे को होने के संबंध में भी कोई सूचना अथवा कोई नोटिस अप्रार्थीगण को नहीं दिया दिनांक 20.06.2017 को बिना सूचना दिये एवं विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प आसरलाई व चावंडिया कलां के सबंध में कोई नोटिस प्रार्थीगण को नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को नहीं करायी गयी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही 24.05.2017, 07.06.2017 व 20.06.2017 की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही टेबल कार्यवाही एक ही दिन में की गई तथा अपीलान्ट को जवाब व सबूत व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना एवं उन्हें विधि अनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 के अन्तर्गत प्रार्थीगण रेस्पोडेंट अप्रार्थीगण अपीलांट की भूमि पर जबरन व बलपूर्वक मौके पर अपीलांट की बनी पुरानी माठों को तोड़कर उस पर जबरदस्ती ट्रैक्टर से मुड दिनांक 13.11.2017 को डलाने लगे एवं अपीलांट की भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन करने हेतु प्रयास करने पर उन्हें प्रार्थीगण अपीलांट के पिता द्वारा रोके जाने पर रेस्पोंडेंट ने अपने पक्ष में निर्णय होना मौके पर बताये जाने पर अपीलांट ने तत्काल उक्त प्रकरण की जानकारी किये जाने पर अप्रार्थीगण ने उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल नकलों हेतु आवेदन दिनांक 15.11.2017 को प्रस्तुत कर एवं नकलें प्राप्त कर जानकारी दिनांक से यह अपील तत्काल प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु अपीलांट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2017 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 के अन्तर्गत प्रार्थीगण रेस्पोडेंट अप्रार्थीगण अपीलांट की भूमि पर जबरन व बलपूर्वक मौके पर अपीलांट की बनी पुरानी माठों को तोड़कर उस पर जबरदस्ती ट्रैक्टर से मुड दिनांक 13.11.2017 को डलाने लगे एवं अपीलांट की भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन करने हेतु प्रयास करने पर उन्हें प्रार्थीगण अपीलांट के पिता द्वारा रोके जाने पर रेस्पोंडेंट ने अपने पक्ष में निर्णय होना मौके पर बताये जाने पर अपीलांट ने तत्काल उक्त प्रकरण की जानकारी किये जाने पर अप्रार्थीगण ने उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल नकलों हेतु आवेदन दिनांक 15.11.2017 को प्रस्तुत कर एवं नकलें प्राप्त कर जानकारी दिनांक से यह अपील तत्काल प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं। साथ ही गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम देवरिया के खसरा संख्या 750/849 एवं 750/862 तक पहुंच मार्ग के लिए रास्ते की मांग की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू.अ.नि. आगेवा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जांच प्रतिवेदन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 750/849 व 750/862 के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अर्थात रास्ते की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थीगण की आराजी से निकटतम दूरी पर चलायमान रास्ता देवरिया कुशालपुरा ग्रेवल सड़क मार्ग है। उक्त सड़क मार्ग एवं प्रार्थीगण की आराजी के मध्य खसरा संख्या 745 की आराजी स्थित है। भू.अ.नि. द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त ग्रेवल सड़क मार्ग से खसरा संख्या 745 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे खसरा संख्या 750/849 की सीमा तक रास्ता प्रस्तावित किया गया। जोकि 13 फीट चौड़ा व 488.4 फीट चौड़ा है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई विकल्प या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हों कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए रास्ते का अभाव नहीं हैं या अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ते से कम दूरी का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध हों। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महज 13 फीट चौड़ाई का रास्ता खेत की सीमा के सहारे स्वीकृत किया है। जोकि कृषक की रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता पर आधारित है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2017 बअनवान सुरजमल वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली